B-3 & 4
L - 43
Polity

GST के मुद्दे :

- भारत में उदारीकरण और निजीकरण की आर्थिक नीति वर्ष 1991 में अपनाई गई लेकिन संविधान के अनुच्छेद 301 में पहले से ही उल्लेखित है कि भारत के समूचे भाग में व्यापार और वाणिज्य आबाद होगा (अनुच्छेद 301)
- अमेरिका में एक अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग का गठन भी किया गया है जिसका आधार अनुच्छेद 307 में मिलता है।
- GST को लागू करके भारत में सहकारी संघवाद को सशक्त किया गया है क्योंकि GST परिषद के द्वारा GST का निर्धारण किया जायेगा और इस निर्णय में न तो संघ सरकार की प्रमाणिकता होगी और न ही राज्यों की प्रमाणिकता होगी अपितु दोनों के सहयोग से ही कोई भी निर्णय किया जायेगा।
- GST के निर्माण में विषम संघवाद की भावना को भी ध्यान में रखा गया है। जिसके अनुसार 5वीं और 6वीं अनुसूची के द्वारा अनुच्छेद-371 के द्वारा कुछ

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

राज्यों को विशेष स्वायत्ता दी गयी है और इन राज्यों को GST परिषद में भी विशेष महत्व दिया गया है जिसके अनुसार इन विशेष राज्यों के लिए विशेष GST का आरोपण किया जा सकता है।

- GST परिषद के माध्यम से भारत में संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन हेतु एक नवीन सिद्धांत का निर्माण किया गया है क्योंकि वित्त आयोग के बजाय यह भूमिका GST परिषद को सौंपी गयी है इसलिए IGST का विभाजन GST परिषद के द्वारा किया जाएगा।

- संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन में संघ सरकार को प्राथमिकता दी गयी है जो 7वीं अनुसूची में दिखाई देती है (अनुच्छेद 246) लेकिन GST के सन्दर्भ में संघ की प्राथमिकता के बजाय संघ एवं राज्यों के बीच समकक्षता के सिद्धांत का निर्माण किया गया है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

विषम संघवाद (नृजातीय संघवाद)

5वीं अनुसूची

(i) जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान

(ii) अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा।

(iii) राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी गई है।

(iv) कार्य
- जनजातीय समुदाय के भूमि के आवंटन हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना।
- साहूकारी व्यवस्था पर प्रतिबंध

6वीं अनुसूची

(i) जनजातीय क्षेत्र (Tribal area)

(ii) चार राज्य - असम, मेघालय त्रिपुरा, मिजोरम।

(iii) जनपद स्वायत्त परिषद

(iv)
- विधायी
- प्रशासनिक
- वित्तीय
- न्यायिक

(i) भूमि
(ii) झूम खेती
(iii) साहूकारी
(iv) विवाह
(v) अपराधिक कानून
(vi) परम्परायें

↓

- सामान्यतः राज्यों के प्रशासन के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है लेकिन 5वीं अनुसूची के राज्यों के लिए संविधान में जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है और फिलहाल भारत के दस राज्य 5वीं अनुसूची में शामिल हैं।

• जनजातीय सलाहकार के 20 सदस्य होंगे जिसमें 3/4 सदस्य उस राज्य के विधान सभा के विधायकों से लिए जायेंगे।

• राज्य के द्वारा किसी विधि का निर्माण किया जा रहा है जो जनजातीय समुदाय के हितों को प्रभावित करती है इसके लिए परिषद से सलाह लिया जाएगा।

• राज्य के द्वारा किसी नीति का निर्माण किया जाता है जो जनजातीय समूह की हितों को प्रभावित करती है तो भी परिषद से सलाह लिया जायेगा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

PESA - 1996 - अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार :-

• संसदीय अधिनियम के द्वारा जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए PESA का निर्माण किया गया। जिसके द्वारा ग्रामसभा को मूल शक्ति प्रदान की गई।

• पेसा के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि उस क्षेत्र में स्थापित होने वाले पंचायतों का सरपंच जनजातीय समुदाय का व्यक्ति ही होगा तथा पंचायतो में जनजातीय समुदाय के सदस्यों के लिए पंचायतों में आधी सीटें आरक्षित की जायेंगी।

• ग्रामसभा की अनुमति के बिना पंचायतों का भूमि अधिग्रहण संभव नही होगा · इसके अलावा जनजातीय समुदाय की सामाजिक परम्पराओं विवाह, अल्प वन्य उत्पाद, मादक पदार्थों बिक्री पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा।

• पेशा ने आधार भूत लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाया और जन-जातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन पर स्वायत्ता प्राप्त हुई क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार दे देना ही पर्याप्त नही है।

• जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी गई है जिसके माध्यम से राज्यपाल संसद और विधानसभा द्वारा निर्मित विधियों को अनुसूची क्षेत्र में लागू होने से प्रतिबंधित कर सकता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

6वीं अनुसूची :-

• वर्तमान में लद्दाख के द्वारा 6वीं अनुसूची के दर्जे की माँग की जा रही है क्योंकि कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कोई भी व्यक्ति कश्मीर में भूमि खरीद सकता है और वहाँ बस सकता है जबकि 6वीं अनुसूची के राज्यों में जनजातीय के भूमि को विशेष संरक्षण दिया गया है जिससे राज्य उनकी भूमि किसी भी गैर

जनजातीय समुदाय के लिए हस्तांतरित नहीं कर सकता।

- लद्दाख के केन्द्र शासित क्षेत्र होने के कारण लद्दाख पर सीधा संघ सरकार का नियंत्रण हो गया है और स्थानीय निवासियों को यह भय है कि बाहरी व्यक्तियों के निवेश और निवास से लद्दाख का पर्यावरण प्रभावित होगा और उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार भी सीमित होंगे।

- पश्चिम बंगाल में गोरखा क्षेत्र के लिए एक पर्वतीय परिषद का गठन किया गया जबकि गोरखा समुदाय जनजातीय समुदाय का भाग नहीं है।

- लद्दाख में लेह और कारगिल में क्रमश: बौद्ध और मुस्लिम धर्मावलंबियों का बहुमत है।

- 6ठीं अनुसूची संविधान के भीतर संविधान का प्रावधान है क्योंकि 6ठीं अनुसूची के राज्यों को जनपद स्वायत्त परिषद गठित करने का अधिकार होता है इसे जनजातीय समुदाय से संबंधित प्रत्येक विषय पर विधि के निर्माण प्रशासन, वित्तीय और न्यायिक अधिकार भी होते हैं।

- सामान्यत: परिषद के सदस्यों की संख्या 30 होती है जो आम जनता द्वारा निर्वाचित

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

होते हैं और 6ठीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों पर संसद और विधानसभा द्वारा निर्मित विधियों भी लागू नहीं होगी। अत: 6ठीं अनुसूची भी आधारभूत लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाता है। और जनपद स्वायत्त जनपद में स्थित एक विधानसभा है। लेकिन 6ठीं अनुसूची के राज्यों का आर्थिक विकास प्रभावी नहीं हो पाया, इसलिए जनपद स्वायत्त परिषद की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों भी अप्रभावी हैं।

- जनजातीयों को प्राप्त यह स्वायत्तता महिला सशक्तिकरण के मार्ग में चुनौती है और अनेकों बार सांस्कृतिक अधिकारों के नाम पर विकास के लक्ष्य भी प्रभावित होते हैं।

संघ एवं राज्य के बीच विवाद :-

(i) जल विवाद :-

(i) अनुच्छेद-262 - संसदीय विधि निर्मित होगी

(ii) अन्तर्राज्यीय जल विवाद के समाधान हेतु संसद विधि का निर्माण करेगी

(iii) जल विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से प्रतिबंधित होगा, ऐसा

संसदीय विधि

(i) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956

(ii) नदी घाटी अधिनियम -1956

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अधिकरण

↓

न्यायधीशों से
मिलकर गठित
होगा।

↓

(i) संघ सरकार अधिकरण
गठित करेगी।

(ii) अधिकरण के गठन के
लिए राज्य अनुरोध
करेगा।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR